

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
उओप्रओ शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उओप्रओ, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-गोण्डा की 19 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8888/33/10/छ:/विविध/2017-18, दिनांक 02 जनवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-गोण्डा की नओपाओपओ, गोण्डा एवं नओपंओ, परसपुर की विभिन्न अल्पविकसित बस्तियों में सीओसीओ/इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 19 परियोजनाओं हेतु कुल ₹0/249.08 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित एकमुश्त ₹0 249.08 लाख (रूपये दो करोड़ उन्चास लाख आठ हजार मात्र) की, वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1378/FC

FC/उओप्रओ आओ के

क्रमशः.....2

07/2/19

5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निष्प्रयोज्य उपकरणों/सामग्री से प्राप्त होने वाली धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्वावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2015, दिनांक 30.03.2018 व समय-समय पर जारी शासनादेशों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - यथोक्त।

भुवदीय,  
04/04/19  
(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव।

संख्या-111 /2018/2574(1)/69-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, गोण्डा।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, 30प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	स्वीकृत की जा रही एकमुश्त धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	गोण्डा	न0या0प0, गोण्डा	वार्ड नं0-24 के मो0 मालवीय नगर में काका बिस्कुट वाली दुकान से गुरुद्वारे तक रबर मोल्टिंग इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	14.03	14.03
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-03 के मो0 पटेल नगर में रमाकान्त शुक्ला के घर से अरुण सिंह के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य।	12.87	12.87
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-01 के मो0 सिविल लाइन (तृतीय) में प्रदीप शुक्ला के मकान से मुकेश वर्मा के मकान होते हुए अवधेश शुक्ला के मकान से दायें मुड़कर पंकज सिंह के मकान होते हुए आगे सुधार सिंह व जन्मेजय सिंह के मकान से पुलिया तक रबर मोल्टिंग इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	13.59	13.59
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-24 के मो0 मालवीय नगर में सुधीर रायतानी के घर के पीछे से राधा कृष्ण मन्दिर (निकाट इलेलाल धर्मशाला) के बगल से गुलाब राय के मकान के पीछे तक रबर मोल्टिंग इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	12.43	12.43
5	तदैव	न0प0, परसपुर	मो0 नौशहरा में प्रीतम गुप्ता की गली से नागेश्वर नाथ मन्दिर होते हुए कब्रिस्तान मार्ग तक रबर मोल्टिंग इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	16.90	16.90
6	तदैव	तदैव	मो0 राजपुर में किशुन दास पाण्डेय के बगल गली से दशहरा वाले मार्ग से मलिन टोला तक रबर मोल्टिंग इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	7.45	7.45
7	तदैव	तदैव	मो0 राजपुर में रमजान चिकवा की गली से होते हुए नई बस्ती व राज कुमार सोनी पत्रकार के घर तथा खेत तक रबर मोल्टिंग इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	6.78	6.78
8	तदैव	तदैव	मो0 राजपुर में राजेश आर्या की दुकान के बगल गली से शिखा सिन्हा के घर तक रबर मोल्टिंग इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	2.23	2.23
9	तदैव	तदैव	मो0 अंजही में राम जानकी मन्दिर से राम सुन्दर के घर तक रबर मोल्टिंग इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	16.91	16.91
10	तदैव	तदैव	मो0 आंटा में प्राइमरी स्कूल से मैन बहादुर के घर तक रबर मोल्टिंग इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	13.52	13.52
11	तदैव	तदैव	मो0 मिश्रन टोला में राधेश्याम के घर से भारत गैस एजेंसी तक रबर मोल्टिंग इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	19.41	19.41
12	तदैव	तदैव	मो0 मिश्रान टोला में पीर मोहम्मद के घर से संदीप रस्तोगी के मइहा तक रबर मोल्टिंग इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	6.48	6.48

13	तदैव	तदैव	मो० मिश्रन टोला में कटरा भवानी मन्दिर के बगल से राजेश रस्तांगी के घर होते हुए ईदू के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	17.85	17.85
14	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-15 के मो० नौशहरी उत्तरी में झम्वार खां सभासद के बगल व पीछे पंकज मिश्रा के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	10.03	10.03
15	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-05 के मो० नकईपुरवा गांव में स्टर बाबू के घर से बाबादीन मिश्र के खेत तक व दर्शनन्द पाण्डेय के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	20.72	20.72
16	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-06 के मो० मुरावन टोला पश्चिमी में परसपुर बेलसर मार्ग से राजा सगरा होते हुए राज मन्दिर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	9.59	9.59
17	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-12 के मो० राजपुर दक्षिणी में परसपुर करनैलगंज मार्ग से राजू के दुकान से चकबन्दी आफिस के बगल से सोहन लाल धोबी के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	11.41	11.41
18	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-13 के मो० मिश्रनटोला के धिरजापुरवा में शिवदत्त पाण्डेय के घर से राम जियावन के घर एवं राधेश्याम के घर होते हुए पिच रोड तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	16.88	16.88
19	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-04 के मो० आटा उत्तरी में सुन्दर कनौजिया के घर से देवा शंकर मिश्र के घर तक रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	20.00	20.00
योग				249.08	249.08

(रूपये दो करोड़ उन्चास लाख आठ हजार मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।